UPAZ010057562025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः जय प्रकाश पाण्डेय, एच०जे०एस० (J.O. Code U.P.1883)

फौजदारी निगरानी सं० 282/2025

प्रियंका देवी उम्र लगभग 28 वर्ष पत्नी विजय चौहान, साकिन लाड़ो, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़। **... ...निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी**

बनाम

1– उ०प्र०सरकार

2–जानकी चौहान उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी चन्द्रजीत चौहान

3– चन्द्रजीत चौहान उम्र लगभग 38 वर्ष

साकिनान–लाड़ो, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़।

4– राजाराम चौहान उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र केदार चौहान, साकिन बलरामपुर, थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़।

... ..विपक्षीगण

निर्णय

(29.07.2026)

1- प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्ती द्वारा प्रार्थना पत्र सं० 583/2025 प्रियंका देवी बनाम जानकी चौहान आदि में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त किया है।

2- संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ती /प्रार्थिनी की ओर से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी के पति विजय चौहान घर पर ही रहकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। प्रार्थिनी का उसके पड़ोसिन जानकी चौहान एवं उसके पति चन्द्रजीत चौहान से अच्छे संबंध थे, इसी संबंध के चलते जानकी चौहान ने लगभग एक बर्ष पहले प्रार्थिनी से दस हजार रुपये लिए थे जिसे प्रार्थिनी लगभग एक महीने से होली के त्यौहार को देखते हुए मांग रही थी जिससे उक्त जानकी, प्रार्थिनी से अन्दर ही अन्दर नाराज थी। इसी दौरान

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2026.07.29 17:01:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जानकी का पति होली के त्यौहार के पूर्व पूना से कमाकर घर आया था और उससे मिलने जानकी का भाई राजाराम चौहान पुत्र केदार चौहान साकिन बलिराम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जानकी के घर आया हुआ था जिसकी जानकारी प्रार्थिनी को नही थी। प्रार्थिनी दिनांक 09.03.2025 को समय करीब 06.45 बजे अपने उधार दिये गये पैसे को मांगने अभियुक्ता जानकी के घर चली गयी, उक्त जानकी व उसके परिवार के लोग प्रार्थिनी को देखते ही झल्ला कर आग बबूला हो गये और जानकी, प्रार्थिनी को जोर जोर से गालियां देते हुए प्रार्थिनी का बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और पटक कर लात मुक्का धूसा से प्रार्थिनी को मारने लगी तथा जानकी के पति चन्द्रजीत व जानकी का भाई राजाराम भी प्रार्थिनी को गालिंया देते हुए लात मुक्का से मारने लगा। जान का खतरा देखकर प्रार्थिनी रोते हुए अपने घर की ओर भागी और जान बचाकर घर में घुस गयी किन्तु उक्त लोग प्रार्थिनी का पीछा करते हुए प्रार्थिनी के घर के अन्दर घुस आये और प्रार्थिनी को पुनः बुरी तरह से लात मुक्का से मारे पीटे, बीच बचाव करने प्रार्थिनी के पति आये तो उन्हे भी उक्त लोग लात मुक्का से मारकर काफी चोटें पहुंचायी। बीच बचाव के दौरान जानकी लड़खड़ा कर दीवाल से टकरा कर घायल हो गयी, शोर पर आस पास के लोग आ गये घटना देखे व बीच बचाव किये तब किसी तरह से प्रार्थिनी की जान बची। मुल्जिमान जिन्दा जलाकर मार डालने की धमकी देते हुए चले गये । घटना की सूचना प्रार्थिनी मुकामी थाने पर दिया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई बल्कि मुल्जिमान के नाजायज प्रभाव में होकर स्थानीय पुलिस प्रार्थिनी व उसके पति के ऊपर धारा– 115(2), 352, 351 (2) बी.एन.एस में एफ आई आर सं० 99/2024 दर्ज कर लिया और प्रार्थिनी की न ही रिपोर्ट दर्ज हुई और न ही कोई कार्यवाही ही हुई तब प्रार्थिनी जरिये डाक रजिस्टरी एस०पी० महोदय आजमगढ़ को सूचना दिया गया किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई मजबूर होकर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ती/आवेदिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. प्रश्नगत आदेश दिनांकित 12.06.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी की ओर से यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी।

3- संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि विद्वान मुख्य न्यायकि मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर सम्यक ढंग से विचार किये बिना आदेश दिनांकित 12.06.2025 सरसरी तौर पर पारित किया गया है, जो अपास्त होने योग्य है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश असामान्य है। थाना स्थानीय की पुलिस प्रस्तुत प्रकरण में सही तथ्यों को उजागर नहीं किया बल्कि विपक्षी के प्रभाव में रिपोर्ट भेजी गयी है जिस पर विश्वास करना उचित नहीं है। लेहाजा आदेश दिनांकित 12.06.2025 निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 12.06.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– विपक्षी सं० 2 द्वारा आपत्ति 10ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि निगरानीकर्ती ने हैरान परेशान व दबाव बनाने की नीयत से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस न्यायालय में दाखिल किया है। वास्तविकता यह है कि निगरानीकर्ती तथा उसके घर वाले आपत्तिकर्ता के साथ दिनांक 09.03.2025 समय 6.45 बजे शाम नाली के विवाद को लेकर आपत्तिकर्ता को मारा पीटा व चोटें पहुँचायी जिस पर आपत्तिकर्ता ने प्राथमिकी सं० 99/2025 धारा– 115(2), 352, 351 (2) बी.एन.एस थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ निगरानीकर्ती व उसके पति के विरूद्ध पंजीकृत कराया जिससे रंज होकर दबाव बनाने हेतु झूठी कहानी बनाकर दाखिल किया जिसे विचारण न्यायालय सत्यता की जानकारी लेकर निरस्त कर दिया।

5–निगरानीकर्ती की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सम्यक विचार किए बिना दिनांक 12.06.2025 का आदेश सरसरी तौर पर पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण अपास्त होने योग्य है। स्थानीय थाने की पुलिस ने इस प्रकरण में सही तथ्यों को उजागर करने के बजाय विपक्षीगण के प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट प्रेषित की है, जिस पर आँख मूँदकर विश्वास करना न्यायसंगत नहीं है; इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश को निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने की याचना की गई है।

6- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि व विसंगति नहीं है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों का श्रवण किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों व आलोच्य आदेश का सम्यक् परिशीलन किया।

7- पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2025 को आदेश पारित करते हुए निगरानीकर्ती/प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि, ''..... स्वंय प्रार्थिनी एवं उसके पति के विरुद्ध विपक्षीगण को मारने पीटने, गाली गुप्ता आदि देने से सम्बन्धित मुकदमा थाना स्थानीय पर दर्ज है। प्रथमः दृष्ट्या यह परिलक्षित होता है कि उक्त मुकदमें में दबाव बनाने एवं उसका क्रास केस तैयार करने के आशय से प्रार्थिनी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मात्र पेशबंदी में सत्यता से परे कपोल कल्पित घटनाओं को दर्शित करते हुए प्रार्थना पत्र मात्र पेशबंदी एवं विपक्षीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अंकित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए , प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। "

8-पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से पाया जाता है कि पक्षों के मध्य पूर्व

से पैसे के लेन-देन आदि को लेकर विवाद चला आ रहा था, जिसके क्रम में दिनांक 09.03.2025 को मारपीट की घटना घटित हुई थी। उक्त दिनांक को हुई घटना के संबंध में विपक्षी सं० 2 द्वारा स्थानीय थाने पर पहुँचकर निगरानीकर्ती व उसके पति के विरुद्ध मारपीटकर चोट पहुँचाने, गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पूर्ववर्ती मुकदमें के कानूनी प्रभाव को कमजोर करने, विपक्षीगण पर अनुचित दबाव बनाने और अपने ऊपर दर्ज मुकदमे के बचाव में एक जवाबी या क्रॉस केस तैयार करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग आपसी रंजिश साधने या जवाबी दबाव बनाने के लिए एक साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इन समस्त तथ्यों, परिस्थितियों और पूर्ववर्ती विवादों की पृष्ठभूमि का संज्ञान लेते हुए निगरानीकर्ती के प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि या विसंगति कारित नहीं की गयी है।

9- इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत है तथा प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क ग्राह्य योग्य नहीं है तथा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत तर्क ग्राह्य योग्य हैं। अतः निगरानीकर्ती की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ती की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 12.06.2025 पुष्ट किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाय। पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक: **29.07.2026**

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: **29.07.2026**

(जय प्रकाश पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
आजमगढ़।